

हस्ताक्षर  
वादी / प्रत्यक्ष  
पालना  
आदेशानुसार  
दिनांक

GCMS संख्या 2022/197  
प्रकरण संख्या 123/22  
लोगर बनाम राज्य सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S.  
GCMS प्रकरण संख्या 2022/197

प्रकरण संख्या 123/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

श्री लोगर मीणा

अनवान

बनाम

राज्य सरकार

निर्णय

दिनांक : 06.07.2022


1. प्रार्थी श्री लोगर पिता भज्जा जाति मीणा निवासी रणिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा रणिया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत् 2078-81 के खाता संख्या 1 आराजी संख्या 1202 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 बीघा भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकर्ड है।
2. उपरोक्त भूमि बन्दोबस्त से पूर्व भूमि राजस्व रिकार्ड कि मौजा रणिया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत 2070-73 में खाता संख्या 207 आराजी नम्बर 513/5 शा.न. 560 रकबा 0-10 बीघा, भूमि लोगर पिता भजा, लोगरी पत्नी लोगर जाती मीणा के नाम दर्ज रिकोर्ड था। बंदोबस्त के बाद तैयार किए गए रिकार्ड अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2078-81 में गत आराजी न. 513/5 शा. न. 560 रकबा 0-10 बीघा का मिलान क्षेत्रफल अनुसार कोई नम्बर नहीं दिया गया।
3. अतः तहसीलदार भीण्डर ने मय अनुशांषा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा रणिया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत् 2078-81 के खाता संख्या 1 आराजी संख्या 1202 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 बीघा भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकर्ड है। मौजा रणिया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत 2070-73 में खाता संख्या 207 आराजी नम्बर 513/5 शा.न. 560 रकबा 0-10 बीघा, भूमि लोगर पिता भजा, लोगरी पत्नी लोगर जाती मीणा के नाम दर्ज रिकोर्ड था। बंदोबस्त के बाद तैयार किए गए रिकार्ड अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2078-81 में गत आराजी न. 513/5 शा. न. 560 रकबा 0-10 बीघा का मिलान क्षेत्रफल अनुसार कोई नम्बर नहीं दिया जाकर उक्त आराजीयात के 513 मी. शा. न. 560 में शामिल कर मिसल बंदोबस्त अनुसार नया आराजी न. 1202 रकबा 0.4300 हेक्टेयर बनाया गया जो वर्तमान में विलानाम काबिल काश्त अर्न रिकार्ड है। जिसमें आवेदन लोगर पिता भज्जा, लोगरी पत्नी लोगर मीणा का 0-10 बीघा भूमि पर कब्जा है। जिसका घास बीड के रूप में उपयोग करते है। उक्त आराजीयात में से 0.1080 हेक्टेयर भूमि को प्रस्तावित कर मय तरमीम वास्ते कार्यवाही करें।
4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर. /6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा



*[Handwritten signature]*

जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज. 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिससे मौजा रणिया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत् 2078-81 के खाता संख्या 1 आराजी संख्या 1202 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 बीघा भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकर्ड है। जबकी भूमि बन्दोबस्त से पूर्व भूमि राजस्व रिकार्ड कि मौजा रणिया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत 2070-73 में खाता संख्या 207 आराजी नम्बर 513/5 शा. न. 560 रकबा 0-10 बीघा, भूमि लोगर पिता भजा, लोगरी पत्नी लोगर जाती मीणा के नाम दर्ज रिकोर्ड था। बंदोबस्त के बाद तैयार किए गए रिकार्ड अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2078-81 में गत आराजी न. 513/5 शा. न. 560 रकबा 0-10 बीघा का मिलान क्षेत्रफल अनुसार कोई नम्बर नहीं दिया गया।

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रणिया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत् 2078-81 के खाता संख्या 1 आराजी संख्या 1202 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 बीघा भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजीयात में से तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस जिसमें आराजी नम्बर 01 कुल रकबा 0.4300 हेक्टेयर में से 0.1080 हेक्टेयर भूमि जहां प्रार्थी का कब्जा है वहां प्रार्थी लोगर पिता भज्जा, लोगरी पत्नी लोगर मीणा को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम की जावें। तहसीलदार को प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति भेजकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे एवं प्रस्तावित नक्शे के अनुसार तरमीम करे।
6. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

  
(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)